FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

हरभजन सिंह बनाम रविन्द्र कौर आदि

अन्तर्गत धारा 53 आरटीए नम्बर 204 सन 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/328

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
16.10.2024	वादी हरभजन सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी 24 एच बी तहसील श्रीकरणपुर की ओर से अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आरटीए पेश किया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 20.11.2024 को पेश हो। [signature]	सम्मन जारी 431 17/10/24
२०/११/२४	वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 की तलबी देवर पर होकर प्राप्त। प्रतिवादी की तलबी जरिए पंजीकृत डाक पुनः करवाए जाने के आदेश दिए जाते हैं। सम्मन, तलबाना पेश हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक २३/१२/२४ को पेश हो। [signature]	
१८/१२/२४	आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 CPC पेश करने पर पेशी मे ली गई। प्रार्थना पत्र मे अर्ज किया कि वादी सभी प्रतिवादीगण के विरुद्ध अपने वाद का परित्याग करना चाहता है। वादी अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा वादी द्वारा वादपत्र नोट्प्रेस करने पर वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 RTA खारिज किया जाता है व इसी वाद की विषयवस्तु के संबध मे नया वाद संस्थित करने की स्वतंत्रता दी जाती है। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर [Seal: उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्रीगंगानगर)]	Not Press [signature]